राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(1) राज/वाद/24 जयपुर, दिनांक 02/12/2024

::आदेश::

इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत विधि अधिकारियों (अभियोजकगण)/ कार्मिकों के भुगतान/अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. प्रत्येक जिले में स्थित इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक एवं विशिष्ट लोक अभियोजक की उपस्थिति प्राप्त होने के उपरान्त, उन्हें नियमानुसार वेतन/मासिक रिटेनरशिप /एपीयरेन्स फीस का भुगतान सम्बन्धित जिला कलक्टर के कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
2. अधिवक्ता संवर्ग के कार्यरत लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं विशिष्ट लोक अभियोजक को इस विभाग के आदेश क्रमांक प012(15)राज/ वाद/08/पार्ट/III जयपुर दिनांक 26.11.2010 के अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का अवकाश देय है। सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा अभियोजकगण के अवकाश पर रहने की सूचना/प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, उनके स्थान पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु समुचित व्यवस्था/अन्य अभियोजक को निर्देशित किया जावेगा।
3. इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत अभियोजन सेवा के लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक एवं विशिष्ट लोक अभियोजक के वेतन भत्ते, अवकाश स्वीकृति एवं अन्य संस्थापन सम्बन्धी कार्य यथा सेवाभिलेख में अपेक्षित पूर्ति, वार्षिक वेतन वृद्धि, उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान इत्यादि कार्य सम्बन्धित जिला कलक्टर के कार्यालय द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।
4. प्रत्येक जिले में स्थित इस विभाग के अधीनस्थ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालयों में कार्यरत विधि वादकरण विभाग द्वारा पदस्थापित किये गये स्टाफ की उपस्थिति प्राप्त होने के उपरान्त, उन्हें नियमानुसार वेतन–भत्ते, अवकाश स्वीकृति, एवं अन्य संस्थापन सम्बन्धी कार्य यथा सेवाभिलेख में अपेक्षित पूर्ति, वार्षिक वेतन वृद्धि, उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान इत्यादि कार्य सम्बन्धित जिला कलक्टर के कार्यालय द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।
5. इस विभाग के अधीनस्थ लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में कार्यरत विधि वादकरण विभाग के नियमित अधिकारियों/कार्मिकों के नियमितिकरण एवं ए.सी.पी. स्वीकृति के प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलक्टर से इस विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त पूर्वानुसार इस विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी।
6. इस विभाग के अधीनस्थ लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में कार्यरत विधि वादकरण विभाग के नियमित अधिकारियों/कार्मिकों के पदोन्नति, पदस्थापन /स्थानान्तरण, अतिरिक्त कार्य दिये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्वानुसार इस विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक।
3. एनालिस्ट कम प्रोगामर को विधि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

Document certified by RAJESH GUPTA <rajeshguptarjs@gmail.com>.

Digitally Signed by RAJESH GUPTA
Designation: Secretary
Date :02-12-2024 06:00:18

RajKaj Ref No.: 12158055